सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 113/2014

1. श्री मिश्री बालिग पुत्र मांगुजी
2. श्री कचरू बालिग पुत्र मांगुजी
3. श्री नारायण बालिग पुत्र मांगुजी
4. श्री रामा बालिग पुत्र मांगुजी
5. श्री कालू बालिग पुत्र किशन बालिग पुत्र मांगुजी
6. श्री सत्तु बालिग पुत्र किशन बालिग पुत्र मांगुजी
7. श्रीमती रमती बेवा किशनजी बालिग पुत्र मांगुजी
8. श्री बलदेव बालिग पुत्र मांगुजी
9. श्री पप्पु बालिग पुत्र मांगुजी
10. श्रीमती सीता बालिग पुत्री मांगुजी
11. श्रीमती शांति बालिग पुत्री मांगुजी
12. श्रीमती दाखा बालिग पुत्री मांगुजी

समस्त जाति गूजर निवासी ब्यावरखास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 बहैसियत स्वयं व बहैसियत काबिज जायदाद स्व0 मांगु वल्द उदा दत्तक पुत्र गंभीराजी, गंभीरा वल्द जोरा जाति गूजर निवासी ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रूपा बालिग पुत्र उदाजी जाति गुर्जर
2. श्री छगना बालिग पुत्र उदाजी जाति गुर्जर

समस्त निवासी गांव ब्यावरखास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 उदा वल्द कज्जाजी जाति गूर्जर निवासी ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार ब्यावर
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक ब्यावर
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधि0

निर्णय दिनांक 12–02–2018

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि वादपत्र के पद नम्बर 1–क में मौजा गांव ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 के साबिक खसरा संख्या 194 रकबा 03–17–00 हाल खसरा संख्या 376 रकबा 02–07–00, 377 रकबा 01–10–00 तथा वादपत्र के पद नम्बर 1–ख में मौजा गांव भगवानपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 के साबिक खसरा संख्या 175 रकबा 06–01–05 हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 06–01–05 कृषि भूमियां स्थित है। वाद के पद नम्बर 1–क में स्थित आराजी के सहखातेदार काश्तकार व काबिज काश्त वादीगण के पूर्वज गंभीरा वल्द जोरा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज उदा वल्द कज्जा जाति गूर्जर निवासी ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 रहे। इसी कारण से उनका नाम राजस्व जमाबन्दी संवत् 2015 से 2028 तक बतौर खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त अंकित होता रहा। इसी प्रकार वाद के पद नम्बर 1–ख में स्थित आराजी के सहखातेदार काश्तकार व काबिज काश्त उदा वल्द कज्जा जाति गूर्जर निवासी ब्यावरखास रहे, इसी कारण से राजस्व जमाबन्दी में उसका नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा था। वादीगण के पिता मांगुजी जायन्दा पुत्र उदा, श्री गंभीराजी के गोद चले गये व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिताजी श्री उदा वल्द कज्जाजी जाति गुर्जर निवासी ब्यावरखास थे जिनके तीन पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल, रूपा व छगना उत्पन्न हुए व उदा वल्द कज्जाजी की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों में वारिस काबिज हुए व उदा वल्द कज्जाजी

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

ने अपने जीवनकाल में अपने निकट के रिश्तेदार श्री गम्भीरा वल्द जोरा जाति गुर्जर निवासी ब्यावरखास की प्रार्थना पर अपने तीनों पुत्रों में से अपने सबसे बड़े पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल को गंभीरा वल्द जोरा के गोद दे दिया व साथ ही गंभीरा वल्द जोराजी के कृषि भूमि काफी कम होने व उदा वल्द कज्जाजी के कृषि भूमि अधिक होने के कारण श्री उदा वल्द कज्जाजी ने अपने जीवनकाल में ही आज से लगभग 60 साल पूर्व अपने जायन्दा पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल जायंदा पुत्र उदा दत्तक पुत्र गंभीरा को ब्यावरखास में स्थित अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा संख्या 194 जिसके हाल खसरा संख्या 376 रकबा 02–07–00 पूरी भूमि व वाद के पद नम्बर 1ख में स्थित गांव भगवानपुरा तहसील ब्यावर में स्थित अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा संख्या 175 रकबा 06–01–05 जिसके हाल खसरा संख्या 176 रकबा 06–01–05 में से 03–10–00 कुल भूमि 05–07–00 अपने जायन्दा पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल को गोद जाने से पूर्व पारिवारिक व्यवस्था व विभाजन में देकर कब्जा संभला दिया, उसी समय उदा वल्द कज्जा ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य परिवार के सदस्यों के सामने सभी की पूर्ण व पर्याप्त जानकारी व सहमति व स्वीकृति से वादीगण के पूर्वज मांगु उर्फ मांगीलाल को उक्त भूमि सदा सर्वदा के लिये देकर कब्जे में संभला दी थी व तभी से उक्त भूमि पर मांगु उर्फ मांगीलाल जब तक जीवित रहे तब तक वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त रहे व मांगु उर्फ मांगीलाल के स्वर्गवास के पश्चात् उसके वारिसान वादीगण का कब्जा काश्त तत्समय से बिना किसी बाधा व रूकावट के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहित सभी की पूर्ण सहमति व रजामन्दी से चला आ रहा है किन्तु राजस्व अभिलेखों में मांगुजी का नाम अंकित नहीं कराया जा सका। वाद के पद नम्बर 1क में वर्णित वादग्रस्त आराजी के सेटलमेंट के पश्चात् बनी वर्किंग जमाबन्दी में बिना किसी आदेश व नामान्तकरण के उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि सहित अन्य भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ही नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई, जबकि उपरोक्त भूमियों पर वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा व रूकावट के चला आ रहा है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। कब्जा काश्त चला आने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों की गलती से श्री मांगु उर्फ मांगीलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हो सका, जिसकी जानकारी वादीगण व मांगु उर्फ मांगीलाल को नहीं हो सकी। इस तथ्य की जानकारी जून 2014 में हो जाने पर मांगु उर्फ मांगीलाल के वारिसान वादीगण ने उपरोक्त भूमियां अपने नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवाने का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने गांव व परिवार के मौजिज लोगों के सामने उपरोक्त भूमियां वादीगण के कब्जे काश्त की होना स्वीकार कर वादीगण के नाम जल्द राजस्व अभिलेखों में अंकित करवाने का आश्वासन व विश्वास दिलाया था। इसी विश्वास व उदा वल्द कज्जा द्वारा बंटवारें में अपने जायन्दा पुत्र मांगु को दी गई उपरोक्त आराजी जो गलती से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना 1/2 हिस्सा बजरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 02.07.2014 को मांगु उर्फ मांगीलाल के सभी वारिसान वादीगण की इच्छा व सहमति के मांगु उर्फ मांगीलाल के पुत्र वादी संख्या 1 मिश्रीलाल के नाम राजीखुशी बिना किसी बहकाये व बिना प्रतिफल के निष्पादित करवा दिया था, जबकि कब्जा तो पूर्व से ही मांगु उर्फ मांगीलाल के वारिसान का चला आ रहा था। मांगु उर्फ मांगीलालजी के हक हिस्से व कब्जे की बकाया 1/2 हिससे की आराजी जो कि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 रूपा वल्द उदा जाति गुर्जर के नाम गलत अंकित हो जाने के कारण उसी के नाम अंकित चली आ रही है, जबकि उक्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 रूपा वल्द उदा का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है व न ही हो सकता है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिताजी श्री उदा वल्द कज्जा जी ने अपने जीवनकाल में

..................लगातार

पीयूष समारिया
प्रखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

ही उपरोक्त भूमियां, अपने जायन्दा पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल को बंटवारे में देकर कब्जा करवा दिया था तभी से कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 20.07.2014 को निवेदन किया कि वे वादग्रस्त आराजी में से अपने 1/2 हिस्से की आराजी जो कि गलती से राजस्व अभिलेखों में उसके नाम अंकित हो गई है, में बतौर खातेदार काश्तकार वादीगण का नाम अंकित करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्र अन्य लोगों के बहकावे में आ जाने के नाम अंकित करवाने से इंकार कर दिया व ऐलानियां धमकी देने लग गये कि वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल कर देंगे व/या उक्त आराजी को औने पोने दामों में अन्य लोगों को रजिस्ट्री करवाकर बेचान कर देंगे व वादीगण को जबरन बेदखल कर देंगे। इस घटना से वादीगण के नीचे से जमीन ही खिसक गई इस पर वादीगण अपने साथ गांव व वरिवार के लोगों को लेकर दिनांक 10.08.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि तो प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी संख्या 1 के नाम बेचान रजिस्ट्री करवा दी है व साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण के पक्ष में एक इकरारनामा भी निष्पादित करा कर उसे नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करा वादीगण को सुपुर्द कर यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता मांगुजी को उनके जायन्दा पिता उदा वल्द कज्जाजी ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्था के तहत दे दी थी व तभी से उनका कब्जा चला आ रहा है अतएव प्रतिवादी संख्या 1 भी चल कर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवा देवे व वादीगण के पूर्व गंभीरा वल्द जोरा का वादग्रस्त आराजी के हक हिस्से की आराजी जो भी गलती से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता उदा वल्द कज्जा के नाम अंकित हो गई व तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित हो गई है, उसे भी दुरूस्त करवाकर वादीगण के नाम अंकित करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्र आग बबूला हो गये व राजस्व अभिलेखें में नाम अंकन करवाने से स्पष्ट इंकार हो गये व साथ ही धममियां देने लगे कि वे वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देंगे व उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम बेचान रजिस्ट्री करवा कर वादीगण को जबरन बेदखल कर देंगे। अतएव प्रस्तुत वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः डिगरी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से पारित की जाय कि प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश प्रदान किया जाय कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या जिसके हाल खसरा संख्या 376 रकबा 02–07–00 पूरी भूमि व वाद के पद नम्बर 1ख में स्थित गांव भगवानपुरा तहसील ब्यावर में स्थित आराजी 176 रकबा 06–01–05 में से 03–10–00 कुल भूमि 05–07–00 भूमि के 1/2 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जाय। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रदान करने के कथन अपने वादपत्र में अंकित किये।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सम्मन तामीली के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 व वादीगण ने सुलहनामा पेश किया। वादीगण की ओर से वादी श्री मिश्री व श्री नारायण तथा स्वतंत्र गवाह श्री रामसुख पुत्र हुकमाजी तथा श्री मांगीलाल पुत्र ज्वाराजी ने साक्ष्य के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी पेश किये जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा स्वतंत्र गवाह ने वादीगण के कथनों की पुष्टि साक्ष्य के शपथ पत्र में अंकित की।

प्रकरण में बहस वादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रदर्श–1 ग्राम ब्यावरखास की खवेट फसली सन् 1350 उंकार व देवा नम्बरदार मजकूरान खवेट संख्या 8 में रकबा 11–05–10 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2

.....................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

के पूर्वजों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रदर्श–2 खतौनी जमाबन्दी फसली सन् 1350 खतौनी नम्बर 3 में उदा व बोदू व जेराम पिसरान कज्जा कौम गूजर साकिन ताबेमजरजी कुल कित्ता 3 कुल रकबा 04–16–00 अंकित है तथा खाता संख्या 4 व 5 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 04–19–10 जहीद व बंजर काबिल जराअत अंकित है। प्रदर्श–3 ग्राम ब्यावरखास की जमाबन्दी संवत् 2015–18 के खाता संख्या 8/58 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 11–05–10 गभीरा वल्द जोरा 1 हिस्सा, धन्ना वल्द घीसा 1/2 हिस्सा कौम गुर्जर व गुलाबचंद व राजमल व रंगलाल पि. चुनीलाल बहिस्सेबराबर 1/2 हिस्सा कौम महाजन गोत कोठारी भागीरथ वल्द गोपाल 1 हिस्सा उदा बालिग व जातरीव नीजसर बराह हिस्से पांचा व जेराम नाबालिगान पिसरान कज्जा बहिस्से बराबर 1 हिस्सा छीतर वल्द हरदेव 1 हिस्सा गमीरा वल्द जोरा राहिन धन्ना वल्द घीसा कौम गुर्जर 1 हिस्सा कुल 6 हिस्सा अंकित है जिसमें खसा संख्या 191, 226, 199, 200 227, 194 दर्ज है तथा उपकृषक के कॉलम में धन्ना वल्द घीसा गुर्जर तथा उदा वल्द कज्जा कौम गूजर सा. देह दर्ज है। प्रदर्श–4 ग्राम ब्यावरखास की जमाबन्दी संवत् 2019–23 है जिसके खाता संख्या 45 में खसरा संख्या 191, 226, 199, 200 227, 194 में गभीरा वल्द जोरा 1 हिस्सा, धन्ना वल्द घीसा 1/2 हिस्सा कौम गुर्जर व गुलाबचंद व राजमल व रंगलाल पि. चुनीलाल बहिस्सेबराबर 1/2 हिस्सा कौम महाजन गोत कोठारी भागीरथ वल्द गोपाल 1 हिस्सा उदा बालिग व जात हीवनिज सरबराह हिस्से पांचा व जेराम नाबालिगान पिसरान कज्जा बहिस्से बराबर 1 हिस्सा छीतर वल्द हरदेव 1 हिस्सा गमीरा वल्द जोरा राहिन धन्ना वल्द घीसा कौम गुर्जर मुर्तहीन 1 हिस्सा कुल 6 हिस्सा कब्जा काश्त व धन्ना उपरोक्त हिस्सा व कब्जजा काश्त उदा वल्द कज्जा कौम गूजर सा. देह हि. अंकित है। प्रदर्श– 5 व 6 अंकित नहीं किये गये हैं। प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत् 2023–26 है जिसमें प्रदर्श–4 अनुसार ही इन्द्राजात अंकित किये गये हैं। प्रदर्श–8 ग्राम ब्यावरखास का मिलान क्षेत्रफल है जिसमें साबिक खसरा संख्या 194 के हाल खसरा संख्या 376 तथा 377 बने होना अंकित हैं। प्रदर्श–9 ग्राम ब्यावरखास की जमाबन्दी संवत् 2041 है जिसमें हाल खसरा नम्बर 376 रकबा 02–07–00 तथा 384 रकबा 01–17–00 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 04–04–00 रूपा व छगना पि. उदा जाति गूजर नि. देह अंकित है। उक्त प्रदर्श–9 में हुए इन्द्राजात आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2042–45 प्रदर्श–10, जमाबन्दी संवत् 2043–46 प्रदर्श–11, जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्श–12, जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श–13, जमाबन्दी संवत् 2059–62 प्रदर्श–14 में यथावत अंकन चला आ रहा है। प्रदर्श–15 ग्राम भगवानपुरा की जमाबन्दी संवत 2017–20 है जिसके खाता संख्या 8 में उदा नौरतमल मुतबन्ना केसरीमल कौम महाजन साकिन ब्यावर मालिक तथा उदा वल्द कज्जा कौम गूजर साकिन ब्यावर का० शि० मुद्दत 7 साल अंकित है जिसमें खसरा संख्या 176, 204 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 07–13–05 दर्ज है जो जमाबन्दी संवत् 2021–24 प्रदर्श– 16 में यथावत अंकित है। ग्राम भगवानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2017–20 के खाता संख्या 2 प्रदर्श–17 है जिसमें खसरा संख्या 175 रकबा 06–01–05 उदा वल्द कज्जा कौम गूजर साकिन ब्यावर का० शि० मुद्दत 4 साल दर्ज हैं। ग्राम भगवानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2021–2024 के खाता संख्या 16 प्रदर्श–18 में उपकृषक के कॉलम में खसरा संख्या 175 रकबा 06–01–05 उदा वल्द कजा कौम गूजर सा. ब्यावर का.शि. मु० 8 साल दर्ज है जो यथावत जमाबन्दी संवत् 2025–28 प्रदर्श– 19 में दर्ज चला आ रहा है। ग्राम भगवानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2025–28 के खाता संख्या 8 प्रदर्श–20 में उपकृषक उदा वल्द कज्जा कौम गूजर सा. ब्यावर का.शि. खसरा संख्या 176 व 204 अंकित है। प्रदर्श–8 ग्राम भगवानपुरा का मिलान क्षेत्रफल भी है जिसमें साबिक खसरा संख्या 175 के हाल खसरा संख्या 176 रकबा 06–01–05 तथा साबिक खसरा संख्या 176 के हाल खसरा संख्या 177 रकबा 06–01–05 बने हैं । प्रदर्श–21 ग्राम भगवानपुरा की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 का खाता संख्या 3 है

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

जिसमें खसरा संख्या 176, 179/1, 180, 177 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 16–02–00 रूपा छगना पि0 उदा कौम गूजर अंकित है। उक्त अंकन ग्राम भगवानुपरा की आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2042–45 प्रदर्श–22, संवत् 2043–46 प्रदर्श–23, संवत् 2047–50 प्रदर्श–24, संवत् 2051–54 प्रदर्श–25, संवत् 2055–58 प्रदर्श–26, संवत् 2059–62 प्रदर्श–27 में यथावत् चला रहा है। प्रदर्श–28 ग्राम ब्यावरखास की जमाबन्दी संवत् 2070–73 है जिसके खाता संख्या 139 में खसरा संख्या 376/2 रकबा 01–03–10 व 384/2 रकबा 00–18–10 छगना वल्द उदा कौम गूजर सा. देह खातेदार के नाम अंकित है जिसमें नामा.सं. 1548 दिनांक 20.08.2014 बेचान से ख.नं. 376/2 रकबा 01–03–10 पर मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगू जाति गूजर सा. दे हके नाम नवीन अंकन स्वीकार होना दर्ज है। प्रदर्श–29 ग्राम भगवानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2070–73 है जिसके खाता संख्या 11 में अन्य खसरा नम्बरान के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 176 रकबा 06–01–05 छगना वल्द उदा कौम गूजर सा. ब्यावरखास के नाम अंकित है, इसी जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 07.07.2014 बेचान से खसरा नम्बर 176 रकबा 06–01–05 में से खसरा संख्या 176/2 रकबा 01–15–00 बहक क्रेता मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगू जाति गूजर सा. ब्यावरखास के नाम नवीन अंकन दर्ज है। **प्रदर्श–30 इकरारनामा दिनांक 28.07.2014 है जिसमें छगना पुत्र स्व. उदा जी जाति गूर्जर निवासी ब्यावरखास ने वादग्रस्त आराजियात बाबत् यह स्वीकार किया है कि छगना वल्द उदा के पिता श्री उदा वल्द कज्जाजी के तीन पुत्र थे जिसमें मांगु उर्फ मांगीलाल, रूपा व छगना थे, उदा वल्द कज्जाजी ने अपने निकट रिश्तेदार री गभीरा वल्द जोरा जाति गुर्जर निवासी ब्यारखास की प्रार्थना पर अपने तीनों पुत्रों में से अपने सबसे बड़े पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल को गभीरा वल्द जोरा के गोद दे दिया व साथ ही गंभीरा वल्द जोराजी के कृषि भूमि कम होने से उदा वल्द कज्जाजी के कृषि भूमि अधिक होने के कारण श्री उदा वल्द कज्जाजी ने अपने जीवनकाल में ही अपने जायन्दा पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल जायन्दा पुत्र उदा दत्तक पुत्र गंभीरा को ब्यावरखास स्थित अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा संख्या 194 जिसके हाल खसरा संख्या 376 रकबा 02–07–00 पूरी भूमि व गांव भगवानपुरा तहसील ब्यावर में स्थित अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा संख्या 175 रकबा 06–01–05 जिसके हाल खसरा संख्या 176 रकबा 06–01–05 में से 03–10–00 भूमि कुल 05–07–00 भूमि अपने जायन्दा पुत्र मांगु उर्फ मागीलाल को गोद जाने से पूर्व पारिवारिक व्यवस्था व विभाजन में देकर कब्जा संभला दिया। सेटलमेंट के पश्चात् बनी वर्किंग जमाबन्दी में बिना किसी आदेश व नामान्तकरण के उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि सहित अन्य भूमियां मुझे मिकर छगना व भाई रूपा पिसरान उदाजी के नाम ही राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई, जबकि उपरोक्त भूमियों पर मुझ मिकर व मेरे भाई रूपाजी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा।** प्रदर्श–31 पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 02.07.2014 है जिस में श्री छगना पुत्र उदा ने ग्राम भगवानपुरा के खसरा संख्या 176 रकबा 06–01–05 में से उत्तर की ओर का भाग रकबा 01–15–00 को श्री मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगू जी जाति गूजर के हक में निष्पादित किया गया है। प्रदर्श–32 बेचाननामा दिनांक 02–07–2014 है जिसमें श्री छगना पुत्र उदा ने ग्राम ब्यावरखास के खसरा संख्या 376/2 रकबा 01–03–10 की सम्पूर्ण भूमि को श्री मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगूजी के हक में निष्पादित किया गया है। पटवारी हल्का ब्यावरखास व भू अभिलेख निरीक्षक ब्यावरखास की रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 15.04.2015 अनुसार ग्राम ब्यावरखास के खसरा नम्बर 376 व खसरा नम्बर 377 में कुल रकबा में से 1 बीघा भूमि पर रूपा वल्द उदा व शेष रकबे पर मिश्रीलाल पुत्र मांगू कौम गूजर का कब्जा होना अंकित किया है, उक्त मौका पर्चा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः रूपा व छगना पिसरान उदा के हस्ताक्षर भी अंकित है। इसी प्रकार पटवारी हल्का सराधना की रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 14–05–2015

.................लगातार

पीयूष समरिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

अनुसार ग्राम भगवानपुरा के आराजी खसरा संख्या 176/2 पर मिश्रीलाल पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल तथा खसरा नम्बर 176/1 रकबा 04–06–05 पर छगना वल्द उदा कौम गूजर का कब्जा काश्त होना अंकित है। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.09.2016 प्रस्तुत किया है जिसमें रूपा पुत्र उदा ने ग्राम भगवानपुरा के खसरा संख्या 177 रकबा 06–01–05 का 1/3 हिस्सा नारायण सुपुत्र मांगू जी जाति गूर्जर को बेचान किया जाना अंकित है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज श्री उदा वल्द कज्जा जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात का पारिवारिक व्यवस्था के तहत आपसी विभाजन कर दिया था तथा ब्यावरखास स्थित अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा संख्या 194 जिसके हाल खसरा संख्या 376 रकबा 02–07–00 पूरी भूमि व गांव भगवानपुरा तहसील ब्यावर में स्थित अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा संख्या 175 रकबा 06–01–05 जिसके हाल खसरा संख्या 176 रकबा 06–01–05 में से 03–10–00 भूमि कुल 05–07–00 भूमि अपने जायन्दा पुत्र मांगु उर्फ मागीलाल को गोद जाने से पूर्व पारिवारिक व्यवस्था व विभाजन में देकर कब्जा संभला दिया **जिसे स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 श्री छगना ने अपने इकरारनामें में अंकित किया है तथा न्यायालय के समक्ष उक्त आशय का सुलहनामा दिनांक 25.03.2015 भी प्रस्तुत किया है जिसके तहत श्री छगना ने अपने हिस्से में आई अधिक भूमि का बेचान वादी के पक्ष में करवा दिया जाना अंकित है** जो प्रदर्श–31 पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 02.07.2014 में श्री छगना पुत्र उदा ने ग्राम भगवानपुरा के खसरा संख्या 176 रकबा 06–01–05 में से उत्तर की ओर का भाग रकबा 01–15–00 को श्री मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगू जी जाति गूजर के हक में निष्पादित किया गया है। प्रदर्श–32 बेचाननामा दिनांक 02–07–2014 में श्री छगना पुत्र उदा ने ग्राम ब्यावरखास के खसरा संख्या 376/2 रकबा 01–03–10 की सम्पूर्ण भूमि को श्री मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगूजी के हक में निष्पादित किया गया है। परन्तु वादी संख्या 1 श्री रूपा पुत्र श्री उदा ने उनके हिस्से में अविधिक रूप से आई अधिक भूमि खसरा संख्या 376/1 रकबा 01–03–10 वाके ग्राम ब्यावरखास को पुनः वादीगण के नाम अंकित नहीं करवाया है जबकि साबिक खसरा नम्बरान् अनुसार व स्वीकारात्मक इकरारनामा के आधार पर श्री रूपा के हिस्से में आई अधिक भूमि का बेचान/स्थानान्तरण वादीगण के हक में नहीं करवाया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ब्यावरखास के हाल खसरा संख्या 376/1 रकबा 01–03–10 किस्म बारानी–3 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा श्री रूपा वल्द उदा कौम गूजर का नाम उक्त खसरे से हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें तथा पूर्व राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान/हस्तान्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष सभारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या 113/2014

1. श्री मिश्री बालिग पुत्र मांगुजी
2. श्री कचरू बालिग पुत्र मांगुजी
3. श्री नारायण बालिग पुत्र मांगुजी
4. श्री रामा बालिग पुत्र मांगुजी
5. श्री कालू बालिग पुत्र किशन बालिग पुत्र मांगुजी
6. श्री सत्तु बालिग पुत्र किशन बालिग पुत्र मांगुजी
7. श्रीमती रमती बेवा किशनजी बालिग पुत्र मांगुजी
8. श्री बलदेव बालिग पुत्र मांगुजी
9. श्री पप्पु बालिग पुत्र मांगुजी
10. श्रीमती सीता बालिग पुत्री मांगुजी
11. श्रीमती शांति बालिग पुत्री मांगुजी
12. श्रीमती दाखा बालिग पुत्री मांगुजी

समस्त जाति गूजर निवासी ब्यावरखास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 बहैसियत स्वयं व बहैसियत काबिज जायदाद स्व0 मांगु वल्द उदा दत्तक पुत्र गंभीराजी, गंभीरा वल्द जोरा जाति गूजर निवासी ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रूपा बालिग पुत्र उदाजी जाति गुर्जर
2. श्री छगना बालिग पुत्र उदाजी जाति गुर्जर

समस्त निवासी गांव ब्यावरखास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 उदा वल्द कज्जाजी जाति गूर्जर निवासी ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार ब्यावर
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक ब्यावर
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधि0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ब्यावरखास के हाल खसरा संख्या 376/1 रकबा 01–03–10 किस्म बारानी–3 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा श्री रूपा वल्द उदा कौम गूजर का नाम उक्त खसरे से हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें तथा पूर्व राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान/हस्तान्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12–02–2018 को जारी किया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

.....लगातार

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्री मिश्री व अन्य बनाम श्री रूपा व अन्य
राजस्व वाद संख्या 113/2014
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयूष समारिया)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर